ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट –01, सैक्टर–नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला –गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0)।
Website:- www.greaternoidaauthority.in

पत्रांक :– / वित्त / जी0एस0टी0 / 2017–18 ग्रे0नौ0: दिनांक :–21 फरवरी, 2018

महाप्रबन्धक (नियोजन),(12239)
महाप्रबन्धक (सम्पत्ति), (12240)
महाप्रबन्धक (परियोजना–के0 / आर0), (12242/12243)
उप महाप्रबन्धक (उद्योग / परियोजना / अर्बन सर्विस / उद्यान), (12244/12245/12246/12248)
वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक / मार्केटिंग / एसेट / स्वास्थ्य), (12249/12250/12251/12252)
वरिष्ठ कार्यपालक (बिल्डर्स / संस्थागत एवं आई0टी0 / वाणिज्यिक / ग्रुप हाउसिंग), (12253/12254/12255/12256)
विशेष कार्याधिकारी (भू–विभाग) (12257)
उप विधि अधिकारी (विधि विभाग) (12259)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण ।

जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा जारी ऑसिफ मेमोरेन्डम दिनांक 20.02.2017 के द्वारा नौएडा प्राधिकरण को लोकल अर्थोरिटी के रूप में सहमति प्रदान की गयी हैं । चूँकि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण भी नौएडा प्राधिकरण की भांति एक समान दर्जे (Status) का हैं। अतः ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण भी सी0जी0एस0टी0 एक्ट, 2017 के अन्तर्गत लोकल प्राधिकरण की श्रेणी में आयेगा। जी0एस0टी0 कांउसिल द्वारा जारी मेमोरन्डम दिनांक 20.12.2017 एवं नोटिफिकेशन संख्या–3 / 2018 सेन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 25.01.2018 के सन्दर्भ में जी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत लोकल अर्थोरिटी के रूप में जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं:–

1. व्यक्तिगत नाम से (Individuals) आवंटित आवासीय भूखण्ड / भवन पर किसी भी प्रकार की सेवाओं पर जी0एस0टी0 देय नही हैं। Business entity जिनका वार्षिक टर्नओवर रू0 20.00 लाख से कम हैं, को आवंटित आवासीय भूखण्ड / भवन पर भू–प्रीमियम सहित समस्त सेवाओं पर नियमानुसार जी0एस0टी0 देय नही है।
2. Business entity (Non Governmental/Non profit organization) जैसे स्कूल, मेडिकल कॉलेज, धार्मिक स्थल आदि को आवंटित भूखण्ड पर दी जाने वाली सेवायें जी0एस0टी0 से छूट हैं।
3. समस्त प्रकार की पेनल्टी के रूप में ली जाने वाली धनराशि पर भी जी0एस0टी0 से छूट हैं।
4. Business entity जिनकी वार्षिक टर्नओवर रू0 20.00 लाख से कम हैं, उन पर दी जाने वाली सेवाओं पर भी जी0एस0टी0 में छूट दी गई हैं (लीज रेन्ट एवं भू–प्रीमियम को छोडकर) ।
5. प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष में किसी को भी कुल रू0 5000.00 तक की दी जा रही सेवाओं पर भी जी0एस0टी0 में छूट प्रदान की गई हैं।
6. संस्थागत, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक भूखण्ड (भूखण्ड के भू–प्रीमियम को छोडकर) हेतु आंवटित भूखण्डों पर दी जाने वाली समस्त सेवाओं पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की देय राशि का भुगतान आवंटी द्वारा (Reverse Charge Mechanism by the recipient) किया जायेगा । जो आवंटी (Business entity) जी0एस0टी0 में पंजीकृत नही हैं, उनको दी जा रही सुविधाओं के शुल्क के साथ जी0एस0टी0 की राशि भी जमा करायी जायेगी। आवंटी को जारी किये जाने वाले पत्र में जी0एस0टी0 काउंसिल के नोटिफिकेशन संख्या–3 / 2018 दिनांक 25.01.2018 का सन्दर्भ देते हुए ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण का जी0एस0टी0 नम्बर भी अंकित कर दें ।
7. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा Government/Governmental Authority/Government entity को लीज पर भूखण्ड आवंटित किया जाता हैं तो उन पर दी जाने वाली समस्त सुविधाओं पर जी0एस0टी0 में छूट दी गई हैं।

8. Right to information Act, 2005 (22 of 2005) के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं पर जी0एस0टी0 में छूट दी गई हैं।

9. व्यक्तिगत अधिवक्ता अथवा अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म, Arbitral tribunal द्वारा दी जा रही विधिक सेवाओं के परामर्श शुल्क पर भी जी0एस0टी0 में छूट दी गई हैं।

10. जिन अनुबन्ध / आपूर्ति आदेश में किसी भी प्रकार का सामान / Meterial की आपूर्ति लागत कुल अनुबन्ध / आपूर्ति की लागत की 25 प्रतिशत से अधिक नौएडा प्राधिकरण को नही दी जा रही हैं, उन अनुबन्धों / आपूर्ति आदेशों में संविधान की धारा 243जी या Municipality under articles 243W के अन्तर्गत जी0एस0टी0 से छूट दी गई हैं।

11. Upfront amount received for industrial plots and plots for development of infrastructure for financial business would be exempt from GST.

(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः–

12260 1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
12261/12262 2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0 / जी0) महोदय को सूचनार्थ।
12263 3. विशेष कार्याधिकारी (वी0) महोदया को सूचनार्थ।
12264 4. वरिष्ठ कार्यपालक (सिस्टम) को इस आशय के साथ कि सम्पत्ति विभाग के पैकेज में उपरोक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करने एवं बेव साईट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
1265 5. मैं0 सार्क एण्ड एसोसिएट, डी–191, ओखला औद्योगिक एरिया फेस–I, दिल्ली–110020 को अवलोकनार्थ।
1266 6. मैं0 राव भारद्वाज एण्ड कं0, बी–10, प्रथम तल, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद को अवलोकनार्थ।

महाप्रबन्धक (वित्त)